समक्ष *के. बाली और ए. एल. बहरी (माननीय न्यायमूर्ति)*

कृष्ण लाल सहगल, अभिनेता और अन्य,याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, उत्तरदाता

1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 12969

3 दिसंबर, 1991

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 16-समान काम के लिए समान वेतन- हरियाणा राज्य के जिला जनसंपर्क कार्यालय के में काम करने वाले कर्मचारी या ग्रामीण सामुदायिक थिएटरों में काम करने वाले- समान कर्तव्यों की प्रकृति- शहरी केंद्रों और ग्रामीण केंद्रों के कर्मचारियों का एक ही नियोक्ता होता है-कर्मचारियों के दो समूहों के बीच कर्तव्यों की प्रकृति में कोई अंतर नहीं किया जा सकता- समान वेतन से इनकार करने वाली कार्रवाई भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य में जिला जनसंपर्क अधिकारी के कार्यालय में वही पद धारण कर रहे हैं जो ग्रामीण सामुदायिक रंगमंच में उनके विरोधी पक्षों द्वारा धारण किए जा रहे हैं।नौकरियों की प्रकृति से पता चलता है कि यह दोनो एक जैसी होनी चाहिए।प्रतिवादी द्वारा किया गया भेद और तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करने पर , याचिकाकर्ताओं को ग्रामीण सामुदायिक थिएटर में काम करने वाले व्यक्तियों को समान वेतन देने से इनकार करना उचित नहीं है।याचिकाकर्ताओं को समान वेतन से वंचित करने की कार्रवाई भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

(पैरा 5)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका, यह प्रार्थना करते हुए कि याचिकाकर्ताओं को कृपया निम्नलिखित राहत दी जाएः—

(i) कि याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर पारित विवादित आदेश को रद्द करते हुए सरशियोरेराई का एक रिट जारी किया जाए (अनुलग्नक पी-1)।

(ii) कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ 1 जनवरी, 1986 से याचिकाकर्ताओं को वही वेतनमान देने का परमादेश देते हुए, जोकि ग्रामीण सामुदायिक थिएटर के सदस्यों को दिया गया है, जो उसी विभाग में काम कर रहे हैं और समान प्रकार के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, एक रिट जारी करें।

(iii) कि प्रतिवादी को 1 जनवरी, 1986 से संशोधित वेतनमान अवशिष्ट को जारी करने और याचिकाकर्ताओं को ब्याज के साथ तुरंत भुगतान करने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति का एक रिट जारी किया जाए।

(iv) कि कोई अन्य उपयुक्त लेखन जो भी यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित समझता है या अन्य आदेश और निर्देश भी जारी किया जाए।

(v) न्याया, समानता और निष्पक्षता के हित में संलग्नक की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने और प्रतिवादी को अग्रिम नोटिस जारी करने की अनुमति दी जाए।

(vi) कि रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ताओं को दी जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री के. जी. चौधरी, अधिवक्ता

श्री मणि राम, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से।

वी. के. बाली, न्यायमूर्ति.

(1) मुकदमे के इस दूसरे दौर में, याचिकाकर्ता जो अभिनेता, स्टेज मास्टर, हारमोनियम मास्टर और तबला मास्टर हैं और जनसंपर्क विभाग, हरियाणा के कर्मचारी हैं, वे उसी वेतन के लिए गुहार लगा रहे हैं जो ग्रामीण सामुदायिक रंगमंच में उसी पद पर और उसी विभाग में कार्यरत व्यक्तियों को दिया जा रहा है जो कि सामान्य और समान प्रकार के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं।शिकायत हरियाणा राज्य के खिलाफ 'समान काम समान वेतन' के सिद्धांत का पालन नहीं करने के लिए भेदभाव की है।आवश्यक तथ्यों पर पहले ध्यान देने की आवश्यकता है।

(2) याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य में जिला जनसंपर्क अधिकारी के कार्यालय में अभिनेता, स्टेज मास्टर, हारमोनियम मास्टर और तबला मास्टर के रूप में रुपये 950-1400 के वेतनमान में काम कर रहे हैं। उसी विभाग में ग्रामीण सामुदायिक थिएटर के सदस्य जो याचिकाकर्ताओं के समान पदों पर काम कर रहे थे, उसी नियोक्ता के तहत उनका वेतनमान रु 1,400-2600 है। वेतनमान में असमानता को दूर करने के लिए, याचिकाकर्ताओं ने अपने संघों द्वारा प्रतिवादी को कई अभ्यावेदन दिए, लेकिन जब उन पर कुछ कारवाई ना हुई तो उनके पास 1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 891 द्वारा इस न्यायालय में मामले को उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।यह मामला एक खण्ड पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया और 18 जनवरी, 1991 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी को तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश जारी किया गया। 13 मई, 1991 के आदेश के अनुसार अभ्यावेदन का निर्णय याचिकाकर्ताओं के खिलाफ होने के बाद, याचिकाकर्ताओं ने दूसरी बार इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।याचिकाकर्ताओं के पद तकनीकी प्रकृति के हैं और उन्हें ग्रामीण सामुदायिक थिएटर में अपने समकक्षों की तुलना में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिक कौशल, शारीरिक श्रम और समय की आवश्यकता होती है।याचिकाकर्ता ड्रामा पार्टी के सदस्य हैं।वे जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनता का मनोरंजन करने के लिए अपने शो करते हैं जबकि ग्रामीण सामुदायिक रंगमंच के सदस्य केवल जिले के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में जनता का मनोरंजन करने के लिए अपने शो करते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने दिल्ली में एशियाड 82 के साथ-साथ "अपना उत्सव" 1986 में हरियाणा राज्य की ओर से लोगों का मनोरंजन करने के लिए अपने शो का मंचन किया था।इसके अलावा, उन्होंने समय-समय पर बॉम्बे, लद्दाख, मिजोरम, गोवा और नागालैंड जैसे विभिन्न राज्यों में भी अपने शो का मंचन किया।हालाँकि ग्रामीण सामुदायिक रंगमंच के सदस्यों के कर्तव्य जिले के ग्रामीण क्षेत्र तक ही सीमित हैं, फिर भी उन्हें रू1,400-2600 का वेतनमान दिया जा रहा था। याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि उनके द्वारा किए गए कर्तव्यों की प्रकृति से पता चलता है कि उनके पास विशेष प्रकार का कौशल होना आवश्यक है जैसे कि एक्टर्स, हार्मोनियम मास्टर्स, स्टेज मास्टर्स और तबला मास्टर्स जैसै शब्द स्वयं इस

बात का संकेत देते हैं कि जबकि ग्रामीण सामुदायिक रंगमंच में एक ही पद पर कार्यरत समान व्यक्तियों के पास विशेष प्रकार का कौशल होना आवश्यक नहीं है, इससीलिए न्हें उच्च स्तर पर रखा जा सकता हैं।दोनों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जहां याचिकाकर्ता राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने शो का मंचन करते हैं, वहीं ग्रामीण सामुदायिक थिएटर में कार्यरत व्यक्ति जिला स्तर पर अपने शो का मंचन करते हैं, ईस स्थिति में, यदि याचिकाकर्ता ग्रामीण सामुदायिक थिएटर में कार्यरत व्यक्तियों की तुलना में अधिक वेतनमान के हकदार नहीं हैं, तो वे कम से कम समान वेतन के हकदार तो हैं।इस न्यायालय द्वारा जिस अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया गया था, उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि 1 जनवरी, 1986 से वेतनमान में संशोधन से पहले हारमोनियम मास्टर, तबला मास्टर, स्टेज मास्टर और अभिनेताओं को रुपये 400-600 का वेतनमान मिल रहा था जबकि ग्रामीण सामुदायिक रंगमंच में काम करने वाले कलाकारों का पूर्वनिर्धारित पैमाना अधिक था अर्थात रु 525-900 था। इसके इलावा इनके भर्ती का तरीका और न्यूनतम योग्यता काफी अलग हैं। इन दो कारणों से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व खारिज कर दिया गया था।

(3) रिट याचिका का विरोध किया गया है और लिखित बयान में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा धारण किए गए पद तकनीकी प्रकृति के नहीं हैं लेकिन उन्हे क ुशल कहा जा सकता है।इसके अलावा प्रतिवादी का यह कहना है कि ग्रामीण सामुदायिक रंगमंच में काम करने वाले व्यक्तियों को सीधे भर्ती नहीं किया गया था, बल्कि वास्तव में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा तबला कलाकार और हारमोनियम कलाकार के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी और ग्रामीण सामुदायिक रंगमंच और नाटक दलों के पद विनिमेय नहीं हैं। प्रतिवादी का कहना है कि नाटक दलों में कार्यरत व्यक्तियों को मूल रूप से जिले के भीतर प्रदर्शन करना पड़ता है और वे केवल नाटक कार्यक्रम देते हैं जबकि ग्रामीण सामुदायिक रंगमंच की स्थापना कलात्मक प्रदर्शन विभाग द्वाराऔ की जाती है जिसका नाटक कार्यक्रमों से कोई लेना-देना नहीं है। उपरोक्त गणणा के अनुसार कर्मचारियों के दो समूहों के कर्तव्यों की प्रकृति अलग-अलग है।

(4) पक्षों के अधिवक्तओं को सुनने के बाद, हमारा विचार यह है कि इस याचिका में तरक है और इसलिए इसे सफल होना चाहिए।यह तथ्य विवादित नहीं है कि हरियाणा राज्य में जिला जनसंपर्क अधिकारी के कार्यालय या ग्रामीण सामुदायिक थिएटर में काम करने वाले कर्मचारियों के समूह समान प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों विभागो के कर्मचारियों का एक ही नियोक्ता है।तथ्य यह है कि कर्मचारियों का एक समूह ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों के स्तर पर काम कर रहा है जबकि कर्मचारियों का दूसरा समूह जिलों या राज्य स्तर के कार्यों में काम कर रहा है; इनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है।*समान कार्य समान वेतन* के सिद्धांत पर विचार करते समय गणितीय सूत्र द्वारा समानता का पता लगाना आवश्यक नहीं है, लेकिन काम की प्रकृति, कर्तव्यों के प्रदर्शन, योग्यता और उनके द्वारा किए गए काम की गुणवत्ता में उचित समानता होनी चाहिए इसीलिए वेतनमान के उद्देश्य से सेवाओं में वर्गीकरण करने की अनुमति नहीं है।भले ही *समान काम के लिए समान वेतन* के सिद्धांत को संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं माना गया है या स्पष्ट रूप से घोषित नहीं किया गया है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 39 (डी) में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को देखते हुए *समान काम के लिए समान वेतन* ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में समानता के संवैधानिक जनादेश को ध्यान में रखते हुए सेवा न्यायशास्त्र में मौलिक

अधिकार का दर्जा ग्रहण कर लिया है।"***भगवान दास और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य***" [1]में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक बार जब दो व्यक्तियों की प्रकृति और कार्य असमान नही होते, तो यह तथ्य कि भर्ती समान या असमान रूप में की गई थी *समान कार्य के लिए समान वेतन* सिद्धांत की दृष्टि से शायद ही प्रासंगिक होगा।भले ही याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उन्हें ग्रामीण सामुदायिक थिएटर में उनके काउंटर-पार्ट्स के समान तरीके से भर्ती किया गया था, फिर भी अगर ऐसा ना हुआ है और एक ही विभाग में दो शाखाओं में भर्ती का तरीका अलग स्रोत से हो, तो यह तथ्य कर्माचारियों के दो समूहों के वेतनमान में कोई अंतर करने के लिए एक वैध आधार प्रदान नहीं करेगा।समान तथ्यों पर जब दूरदर्शन के कर्मचारी कलाकारों ने फिल्म प्रभाग में अपने समकक्षों के समान वेतन मिलने का दावा किया तो सर्वोच्च न्यायालय ने "***वाई. के. मेहता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य***"[2] में अभिनिर्धारित किया कि संविधान के भाग IV में निहित निदेशक सिद्धांत, हालांकि किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी लोगों के कल्याण के लिए राज्य द्वारा लागू किए जाने चाहिए।"*समान वेतन या समान काम*" का सिद्धांत यदि समान या समान पदों पर आसीन, समान योग्यता रखने वाले और समान प्रकार का काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के दो समूहों के मामले में प्रभावी नहीं किया जाता है, तो यह भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन होगा।

(5) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य में जिला जनसंपर्क अधिकारी के कार्यालय में वही पदों पर हैं जैसा कि ग्रामीण सामुदायिक रंगमंच में उनके विरोधी। नौकरियों की प्रकृति से पता चलता है कि इन्हें एक ही प्रकार का होना चाहिए।प्रतिवादी द्वारा किया गया भेद और जो ऊपर देखा गया है, याचिकाकर्ताओं को ग्रामीण सामुदायिक थिएटर में काम करने वाले व्यक्तियों को दिए जाने वाले वेतनमान से इनकार करना उचित नहीं है। याचिकाकर्ताओं को समान वेतन न देना भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

(6) ऊपरउल्लेखिक किये गए तथ्यों के आधार पर, आदेश एनी पी.1 , जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया गया था, को दरकिनार किया जाता है और प्रतिवादी को एक निर्देश जारी किया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को रुपये 1400-2600 का वेतनमान उसी तारीख से प्रदान करें जिस दिन से ग्रामीण सामुदायिक थिएटर में समान या समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को भुगतान किया गया था।अवशिष्ट राशि का भुगतान आज से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।यह रिट याचिका, लागत पर किसी आदेश के बिना, सफल घोषित की जाती है।

---

[1] ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 2049

[2] ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1970

5470 एच. सी.-सरकारी प्रेस, यू. टी., चण्डीगढ़

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शिवदेव शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अम्बाला, हरियाणा